न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखाण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 311/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/438)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चांद सेठी पत्नी कलवन्त सेठी जाति अरोडा निवासी बी ब्लॉक, वार्ड नं0 06 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. अंकिता सेठी पुत्री कलवन्त सेठी पत्नी अनमोल गाब्बा जाति अरोडा निवासी 17 सी ब्लॉक, वार्ड नं0 14 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. अनमोल सेठी पुत्र कलवन्त सेठी जाति अरोडा निवासी बी ब्लॉक, वार्ड नं0 06 श्रीकरणपुर जरिए प्राधिकृत माता :- चांद सेठी पत्नी स्व. कलवन्त सेठी जाति अरोडा निवासी बी ब्लॉक, वार्ड नं0 06 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।		1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. नगरपालिका श्रीकरणपुर जरिए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955, 136 भू–राजस्व अधिनियम–1956

तारीख रजू 18.09.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
1. श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2

––निर्णय–– **दिनांकः 22.12.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम चक 20 ओ, पटवार मण्डल 23 ओ, भू.अ.नि.क्षेत्र श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2071 ता 2074 के खाता संख्या 29/20 में मुरब्बा नम्बर 14, 17, 91/54 में कृषि भूमि संयुक्त खातेदारान के नाम से दर्ज थी। जिसमें कलवन्त सेठी पुत्र जगननाथ सेठी के नाम से 0.670 हैक्टेयर, अनमोल सेठी पुत्र कलवन्त सेठी के नाम 0.270 हैक्टेयर भूमि व चांद सेठी के नाम 0.474 हैक्टेयर भूमि दर्ज थी। जरिए इंतकाल संख्या 741 दिनांक 11.01.2019 को कलवन्त सेठी द्वारा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 6 में 0.114 हैक्टेयर भूमि, अनमोल सेठी द्वारा मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बर 1/1 के 0.042 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 के 0.059 हैक्टेयर, किला नम्बर 3 के 0.059 हैक्टेयर, किला नम्बर 4/1 के 0.060 हैक्टेयर, किला नम्बर 5/1 के 0.050 हैक्टेयर कुल 0.384 हैक्टेयर भूमि का रूपांतरण करवा लिया गया था, जिसके कारण उक्त भूमि नगरपालिका श्रीकरणपुर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई। इसके पश्चात् जरिए इंतकाल संख्या 742 दिनांक 11.01.2019 को खातेदार चांद सेठी द्वारा भी मुरब्बा नम्बर 17 के किला नम्बा 7/2 के 0.127 है0, 8/1 के 0.126है0, 9/1 के 0.126है0, 10/1 के 0.095है0 रकबा 0.474है0 भूमि का रूपांतरण करवा लिया गया था, जिसके कारण उक्त भूमि नगरपालिका श्रीकरणपुर के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गई। हालांकि नगरपालिका श्रीकरणपुर द्वारा रूपांतरण आवेदन पत्र की कार्यवाही करते हुये राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के प्रारूप संख्या 11 में 90ए के आदेश संख्या 3854 दिनांक 25.10.2018 को जारी किए गए एवं वर्तमान में प्राप्त आवेदन पत्र कार्यवाही करते हुये राजस्थान नगरीय क्षेत्र नियम 2012 के नियम 24 के तहत पालिका कार्यालय द्वारा 90ए के आदेश को दिनांक 05.11.2024 को प्रत्याहरित किया गया। इसलिए नगरपालिका श्रीकरणपुर द्वारा उक्त जारी आदेश की पालना में उक्त वर्णित गैर कृषि भूमि को खातेदारान के नाम से पुनः कृषि भूमि के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था। उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अंकन नगरपालिका श्रीकरणपुर में गैर मुमकिन दर्ज होना चाहिए था। परन्तु सेग्रीगेशन के समय उक्त इंतकालो संख्या 741 व 742 की किस्म गैर मुमकिन भूमि के स्थान पर विभाजन की किस्म अंकित होते हुये रकबा नहरी भूमि में परिवर्तित हो गया, जिस कारण वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 में खाता संख्या 168 व 169 में भूमि की किस्म नहरी कृषि भूमि के रूप में प्रदर्शित हो रही है। खातेदारान के द्वारा रूपांतरण करवाया गया समस्त 0.858है0 भूमि उनको नगरपालिका द्वारा पारित आदेश के तहत पुनः सुपुर्द कर दी गयी है, लेकिन उक्त जमाबंदी में त्रुटियां होने के कारण उक्त आदेश की पालना नही हो रही है। इसलिए राजस्व अभिलेख के अंकन को दुरूस्त किया जाना अतिआवश्यक है, ताकि उक्त खातेदारान के नाम से उक्त रकबा पुनः राजस्व अभिलेख में दर्ज हो सकें। उक्त खातेदारान में से कलवन्त सेठी की दिनांक 02.03.2024 को मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के पश्चात् वादीगण उनके विधिक वारिसान है। इस प्रकार से मृतक कलवन्त सेठी के नाम से दर्ज भूमि 0.114है0 भूमि का वादीगण बहिस्सा बराबर अपने नाम से अंकन करवाने के अधिकारी है। हालांकि पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

में मृतक कलवन्त सेठी के नाम से खाता संख्या 154/29 में कुल 0.594है0 भूमि का जरिए विरासतन इंतकाल संख्या 837 दिनांक 07.05.2024 को विरासतन नामांतरण करवा लिया है। इसलिए शेष बची मृतक कलवन्त सेठी के नाम से 0.114है0 भूमि के वादीगण नामांतरण करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने नगरपालिका द्वारा जारी आदेश की पालना में भूमि का अंकन करवाने हेतु संबंधित कार्यालय में निवेदन किया गया, लेकिन राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती का बिन्दू व तकनीकी समस्या के कारण उक्त पालिका के आदेश की पालना नही हो रही है। यही वाद कारण है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर नगरपालिका श्रीकरणपुर कार्यालय द्वारा आदेश को दिनांक 05.11.2024 को जारी आदेश की पालना में चक 20 ओ के खाता संख्या 168 व 168 में कुल वर्णित 0.858 हैक्टेयर भूमि में मृतक कलवन्त सेठी के नाम 0.114 हैक्टेयर का वादीगण को बहिस्सा खातेदार घोषित किया जावे एवं अनमोल सेठी को 0.270 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं चांद सेठी को 0.474 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं उक्तानुसार रकबा का अंकन करने हेतु प्रकरण सादिर डिक्री किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार नगरपालिका श्रीकरणपुर द्वारा उक्त जारी आदेश के अनुसार उक्त वर्णित गैर कृषि भूमि को खातेदारान के नाम से पुनः कृषि भूमि के रूप में दर्ज की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा पंत्राक 2753 दिनांक 31.10.2025 से प्रकरण के संबध में रिपोर्ट प्रेषित की। सामिल मिसल की गई। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार चक 20 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 169 के मुरब्बा नम्बर 17 की कुल 0.858 हैक्टेयर भूमि पूर्व में दर्ज इन्तकाल संख्या 741, 742 जरिए गैरमुमकिन नगरपालिका दर्ज की गई थी। लेकिन सेग्रीगेशन के समय सहवन से इन्तकाल संख्या 741 व 742 की किस्म खाता विभाजन हो गई। जिस कारण उक्त रकबा गैरमुमकिन के स्थान पर नहरी दर्ज हो गया। नगरपालिका को सुपूर्द करने से पूर्व उक्त भूमि कलवन्त सेठी, अनमोल सेठी, चांद सेठी के नाम से दर्ज थी। वर्तमान में कलवन्त सेठी की 02.03.2024 को मृत्यू हो गई थी। जिसने वारिसान की जांच की गई। कलवन्त सेठी के अनमोल सेठी, चांद सेठी, अंकित सेठी विधिक वारिसान है।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र, सहमति के जवाबदावा मुताबिक डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, जवाबदावा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर व सहमति के जवाबदावा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 168/154 के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.384 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 469/157 के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.474 हैक्टेयर भूमि, दोनो खातो की कुल 0.858 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 चांद सेठी को 0.512 हैक्टेयर भूमि का, वादी संख्या 2 अंकिता सेठी को 0.038 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 अनमोल सेठी को 0.308 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. चांद सेठी पत्नी कलवन्त सेठी जाति अरोडा निवासी बी ब्लॉक, वार्ड नं0 06 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 2. अंकिता सेठी पुत्री कलवन्त सेठी पत्नी अनमोल गाब्बा जाति अरोडा निवासी 17 सी ब्लॉक, वार्ड नं0 14 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर। 3. अनमोल सेठी पुत्र कलवन्त सेठी जाति अरोडा निवासी बी ब्लॉक, वार्ड नं0 06 श्रीकरणपुर जरिए प्राधिकृत माता :- चांद सेठी पत्नी स्व. कलवन्त सेठी जाति अरोडा निवासी बी ब्लॉक, वार्ड नं0 06 श्रीकरणपुर तहसील श्रीकरणपुर।	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। 2. नगरपालिका श्रीकरणपुर जरिए अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका श्रीकरणपुर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर **311/2025**

निर्णय दिनांक :-22.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955, 136 भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 20 ओ, पटवार हल्का 23 ओ, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 168/154 के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.384 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 469/157 के मुरब्बा नम्बर 17 की 0.474 हैक्टेयर भूमि, दोनो खातो की कुल 0.858 हैक्टेयर भूमि में से वादी संख्या 1 चांद सेठी को 0.512 हैक्टेयर भूमि का, वादी संख्या 2 अंकिता सेठी को 0.038 हैक्टेयर भूमि, वादी संख्या 3 अनमोल सेठी को 0.308 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातो के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 22.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/930 दिनांक: 22.12.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर